

22/11/21

Form No-111

अज अदालत

फर्द अहकाम (निगम 16)

उपखण्ड अधिकारी

मुकदमा

रायसिंहनगर

जमदीश 17 PTD बनाम सरकार

नम्बर 359 सन् 2021

किस्म मुकदमा 136 एल आर एक्ट

जी.सी.एम.एस. आईडी 2021 /

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियट्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी किए |
|------------|---|--|
| 22-11-21 | <p>तहसीलदार भू.अ./नायब तहसीलदार <u>रामेजा</u> रायसिंहनगर के पत्रांक/भू.अ./प्र.गां.सं.अ./2021/1024... दिनांक <u>22-11-21</u> के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत <u>रामेजा</u> में प्रार्थी के नाम चक <u>17 PTD</u> की जमाबंदी सम्वत् <u>2075-2078</u> के खाता सं. <u>18</u> में <u>जमदीश 5/0 पवरीराज जाति बिशनी</u> दर्ज है।</p> <p>के स्थान पर <u>जमदीश 5/0 पवरीराज जाति बिशनी</u></p> <p>की दुरुस्ती किये जाने की अनुशंसा की गयी है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। मजमा ए-आम कैम्प कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार दुरुस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गयी है। अतः तहसीलदार/नायब तहसीलदार <u>रामेजा</u> रायसिंहनगर की अनुशंसा के आधार पर वाके चक <u>17 PTD</u> तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्वत् <u>2075-78</u> के खाता सं. <u>18</u> में <u>जमदीश 5/0 पवरीराज जाति बिशनी</u> के स्थान पर <u>जमदीश 5/0 पवरीराज जाति बिशनी</u></p> <p>की दुरुस्ती करने के आदेश दिए जाते हैं। शर्त अकन बदलना होगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जाये। इसी आशय का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। पत्रावली फौसले में शुमार होकर दाखिल सफतर हो। आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया।</p> | |

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
कैम्प - रामेजा

